बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

आदेश

उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में अन्य राज्यों से रेलवे रैक के माध्यम से पत्थर मँगाकर व्यवसाय करने के क्रम में हो रहे परेशानी के संबंध में नार्थ बिहार स्टोन चिप्स मर्चेन्ट एसोसियेशन से प्राप्त पत्र एवं दिनांक– 01.07.2024 तथा दिनांक– 04.07.2024 को राज्य के भंडारण अनुज्ञप्तिधारी, बंदोबस्तधारी, ट्रांसपोर्टर की बैठक में उठाये गए मुद्दों के संबंध में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है। नार्थ बिहार स्टोन चिप्स मर्चेन्ट एसोसियेशन द्वारा बैठक में मुख्यतः निम्न दो बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

i. उनके द्वारा रेलवे से मंगाये गए माल (खनिज) की कैपिंग नहीं होने के कारण खनन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनियमितता बरती जाती है।
ii. इसके कारण चालान निर्गत करने एवं अन्य राज्यों से रेलवे के माध्यम से लाये गए खनिज (गिट्टी) को ले जा रहे वाहनों के परिवहन में असुविधा होती है।

2– उपरोक्त समस्याओं के आलोक में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के तहत स्थापित व्यवस्था का पालन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त रेलवे रैक के माध्यम से भंडारण अनुज्ञप्ति में लाये गए खनिज का कैपिंग उपलब्ध कराने हेतु निम्न निदेश जारी किये जाते हैं :–

भंडारण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई :–

i. भंडारण अनुज्ञप्तिधारी अन्य राज्य से पत्थर (स्टोन/स्टोन चिप्स) मंगवाने से पूर्व अपने स्टॉकिस्ट आई0डी0 के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर पत्थर की मात्रा (डिमांड) एवं स्रोत स्थल का उल्लेख करते हुए आवेदन समर्पित करेंगे। इसके साथ जिस स्थल (राज्य) से चालान निर्गत हुआ है, उसकी प्रति, E-way Bill की प्रति एवं रेलवे रसीद (RR)- वैगनवार विवरण के साथ भी एक ही बार में अपलोड करेंगे।
ii. जिस दिन रेलवे द्वारा पत्थर/गिट्टी प्राप्त हो जाता है, उस दिन की पूर्व सूचना भंडारण अनुज्ञप्तिधारी, संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को देंगे।

खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित कार्रवाई :–

iii. संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक, आवेदनकर्त्ता द्वारा अपलोड किये गये खनन ई–चालान, E-Way Bill, HSN Code एवं अन्य कागजातों की सत्यता की जाँच अपलोडिंग के तुरंत बाद दो कार्यालय दिवस (अधिकतम) में संबंधित राज्य की वेबसाईट, GSTN Website से करेंगे तथा उसी दिन विभागीय वेबसाईट पर सत्यापन अपलोड करेंगे।
iv. जिस दिन खनिज रेलवे से प्राप्त हो जाता है, उसी दिन संबंधित जाँच पदाधिकारी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, भंडारित स्थल एवं निरीक्षण की Geo-Coordinate सहित

फोटो, खनिज मापी प्रतिवेदन के साथ अनुमति पत्र को उसी दिन विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अनुमति पत्र अपलोड होने के उपरान्त स्वतः स्वीकृत पत्थर की मात्रा भंडारण अनुज्ञप्तिधारी के आई0डी0 में Add हो जाएगी।

v. सभी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0– 2388 दिनांक– 15.06.2024 के आलोक में CCTV Camera एवं धर्मकाँटा अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा।

vi. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्गत ई–चालान में खनिज की मात्रा (घनफीट में), खनिज का वजन (टन में), स्रोत/गंतव्य स्थल, खनिज का मूल्य अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा, ताकि संबंधित वाहन मालिक/चालक द्वारा इसे जाँच के समय उपस्थापित किया जायेगा।

vii. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मासिक रिर्टन ससमय खनिज विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा।

उपरोक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(मो0 नैय्यर इकबाल)
निदेशक, खान

ज्ञापांक– 01/लघु खनन (स्टो0)–12/22–2831 एम0, पटना, दिनांक :– 16/07/2024

प्रतिलिपिः– प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, NIC/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इसे वेबसाईट पर प्रकाशित करें।

निदेशक, खान
12/7/24